



F. No.49-1/2016/NCTE/N&S /32885

11<sup>th</sup> July, 2016

To

The Regional Director  
Northern Regional Committee  
National Council for Teacher Education,  
Fourth Floor, Jeevan Nidhi -II, LIC Building,  
Bhawani Singh Marg, Ambedkar Circle,  
Jaipur - 302005.(Rajasthan)

**Subject: Clarification regarding requirement of qualifications for Teaching faculty for B.Ed. course appointed prior to Regulation, 2014**

Sir,

I am directed to refer to your letter No. NRC/NCTE/Acad/2016-2017/150987 dated 14<sup>th</sup> June, 2016 regarding the subject mentioned above. You have sought for clarification on the following points :-

1. Now, will the lecturers possessing 50% marks and above but below 55% marks in Master's degree in any school subject (Science/Humanities/Arts etc.) and M.Ed./M.A. in education with 55% marks have been working as Lectures in B.Ed. college since prior to the enforcement of NCTE Regulation, 2014?
2. Will they be exempted from the stipulated prescribed qualifications (Percentage of marks) mentioned in the NCTE Regulations (Recognition, Norms and Procedure) 2014?
3. Or the old such teaching staffs who have been working as lecturers in B.Ed. College since prior to the NCTE Regulation, 2014 came into enforcement, will they have to be at par of new, NCTE Regulation, 2014?

In all the above three points, it is clarified that the teaching faculty appointed by the concerned teacher education institutions prior to the notification of the NCTE Regulation, 2014 on the basis of the existing Regulations notified time to time shall be allowed to continue with an advice to advise them to upgrade their qualifications as per the NCTE Regulation, 2014.

Yours faithfully,

(Dr. Prabhu Kumar Yadav)  
Under Secretary (Regulation)

for website upload  
11.07.16  
21/7

148204  
NCTE

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्  
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)  
उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION  
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)  
Northern Regional Committee

By Fax / Speed Post / Registered  
Phone: 642901, 2662824  
1 January, 2003

F.NRC/NCTE/F-3/UP-520/2002/9600

### ORDER

In terms of Section 14(1) of the NCTE Act, 1993 Raghunath Girls P.G. College, W.K. Road, Meerut - 250001, U.P. had submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition for starting B.Ed. course of one year duration from the academic session 2002-2003 with an annual intake of 100 (One Hundred) students.

2. One scrutiny of the application submitted by the institution, the documents attached therewith and the input received from the visiting team, the Committee has noted the following :-

- i. The institution has acquired the land for setting up the teacher education institution.
- ii. The institution has constructed the building for conducting the course on the above mentioned land.
- iii. The institution has created an Endowment Fund of Rs. 5,00,000.00 (Rupees Five Lacs Only) and a Reserve Fund of Rs. 3,00,000.00 (Rupees Three lacs Only).
- iv. The institution has initiated the process for recruitment of Principal / Head of Department and teachers for the said course..

3. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition to 1993 Raghunath Girls P.G. College, W.K. Road, Meerut - 250001, U.P. for B.Ed. one year course from the academic session 2002-2003 with an annual intake of 100 (One Hundred) students Subject to fulfillment of the following :-

Contd. 2....

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर- 302 004  
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान  
Phone फोन : 0141-623501

Fax फैक्स : 91-141-620116

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur - 302 00  
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan  
E-mail : ncte@raj.nic.in Website : http://www.ncte-in.c

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान) गुरुगुरुतमो धाम  
NCTE



**National Council for Teacher Education**

(A Statutory Body of the Government of India)

**By E-mail / Hand / Speed Post**

: Copy to :-

1. Regional Director, Southern Regional Committee(NCTE), Nagarabhavi, Jnana Bharati Campus Road, Opp. National Law School, Bangalore - 570 072
2. Regional Director, Eastern Regional Committee (NCTE), 15, Neel Kanth Nagar, Nayapalli, Bhubaneswar - 751 012, Orissa
3. Regional Director, Western Regional Committee(NCTE), Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal - 462 002 [M.P] INDIA.

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश  
लाखनऊ-226002

संख्या-ई.स. / जी.ए.स. 5475  
दिनांक 7/11/2008

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश।

रोवा में,

कुलसचिव,  
बीधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता/उच्च शिक्षा दिनांक ४.३.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के अधीन आर.जी.पी.जी. कालेज, मेरठ को स्नातक स्तर पर बी.एड. पाठ्यक्रम में सी सीटी की प्रवेश क्षमता के साथ स्वयंसेवक शीर्षक के अर्धीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

- १ संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- २ संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्मित शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
- ३ यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिर्णयवाली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता की सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

गवदीय

( राकेश कुमार ओझा )  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रातिनिधि निम्नलिखित की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लाखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. सचिव आर.जी.पी.जी. कालेज, मेरठ
५. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ४६-ए, शान्तिपथ, तिलक नगर, जयपुर।

( राकेश कुमार ओझा )  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



Regd.

पत्रांक:- सम्बद्धता/83  
दिनांक:- 19.01.2005

चिव,  
आर० जी० (पी०जी०) कालेज  
मेरठ

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स./5475/जी.एस. दिनांक 07.10.2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन आर० जी० पी०जी० कालेज, मेरठ को स्नातक स्तर पर बी०एड० पाठ्यक्रम में सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2004 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
  2. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - 2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
  3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उक्त निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उक्त राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार स्नातक स्तर पर आर० जी० पी०जी० कालेज, मेरठ को स्नातक स्तर पर बी०एड० पाठ्यक्रम में सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2004 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

सचिव

1. सचिव, कुलाधिपति सचिवालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।  
2. सचिव, कुलाधिपति सचिवालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

(लेखा)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।